सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 वैशाख, 1948 (श०)

संख्या - 222 राँची, सोमवार, 11 मई, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

30 अप्रैल, 2026

संख्या-4/मुकदमा-04-17/2023 का.- 2559--झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रथम सीमित उप समाहर्त्ता प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं0-05/2005) में श्री हरेराम सिंह अनुक्रमांक-20057228, कोटि-BC-II तथा श्री राम प्रकाश राम (अनुक्रमांक-20053306, कोटि-EBC-I) के उम्मीदवार के रूप में भाग लिया गया ।

2. प्रथम सीमित उप समाहर्त्ता प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं. 05/2005) के अभ्यर्थी (i) श्री हरे राम सिंह को पिछड़ा वर्ग (एनेक्सर-II) से अनारक्षित कोटि में किये जाने के कारण उनका चयन प्रथम सीमित उप समाहर्त्ता प्रतियोगिता परीक्षा के अन्तर्गत उप समाहर्त्ता के पद पर नहीं किये जाने के फलस्वरूप श्री सिंह ने नियुक्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय में W.P.(S) No-2394/2023 हरे राम सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर किया ।

(ii) साथ ही श्री राम प्रकाश राम को पिछड़ा वर्ग (एनेक्सर-I) से अनारक्षित कोटि में किये जाने के कारण उनका चयन प्रथम सीमित उप समाहर्त्ता प्रतियोगिता परीक्षा के अन्तर्गत उप समाहर्त्ता के पद पर नहीं किये जाने के फलस्वरूप श्री राम ने नियुक्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय में W.P.(S) No-2361/2023 राम प्रकाश राम बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर किया ।

3. माननीय न्यायालय द्वारा W.P.(S) No-2394/2023 हरे राम सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा W.P.(S) No-2361/2023 राम प्रकाश राम बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 26.06.2024 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

"22. In view of the aforesaid observations and the logical sequitur, the respondent-JPSC is directed to send the recommendation of both the petitioners within a period of six weeks from the date of receipt of a copy of this order and the respondent-State is directed to issue appointment letters to them within a further period of four weeks from the date of receipt of such recommendation from the respondent-JPSC. The petitioners shall be appointed with all consequential benefits. However, it is made clear that if there is no vacancy, the State shall create supernumerary posts and appoint the petitioners against those posts.

23. Both the writ petitions stand allowed, with no order as to costs."

4. उक्त पारित आदेश के विरूद्ध LPA No 4/2025 झारखण्ड सरकार बनाम हरे राम सिंह एवं LPA No 207/2025 झारखण्ड सरकार बनाम राम प्रकाश राम दायर किया गया है ।

5. W.P.(S) No-2394/2023 एवं W.P.(S) No-2361/2023 में दिनांक 26.06.2024 को पारित न्यायादेश के संदर्भ में Cont Case (C) No-926/2024 हरे राम सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा Cont Case (C) No-1137/2024 राम प्रकाश राम बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर किया गया है ।

6. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दोनों अवमानना वादों की एक साथ सुनवाई करते हुए दिनांक 06.02.2026 को निम्नवत न्यायादेश पारित किया गया:-

"From the argument of learned counsel for the parties, I am of the impression that the order dated 26.06.2024 passed in W.P.(S) No. 2361 of 2023 has not yet been complied with.

In that view, office is directed to issue notice to the opposite parties/contemnors in terms of Rule 393 of the High Court of Jharkhand Rules to show cause as to why not a proceeding for contempt be initiated and charge be framed against them.

Let a copy of this order be given to the counsel for the opposite parties."

7. झारखण्ड लोक सेवा आयोग से श्री हरे राम सिंह (अनुक्रमांक- 20057228, कोटि-BC-II) तथा श्री राम प्रकाश राम (अनुक्रमांक-20053306, कोटि-EBC-I) को पूर्व उल्लेखित परीक्षा के विरूद्ध उप समाहर्त्ता पद के लिए अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी ।

8. W.P.(S) No-2394/2023 एवं W.P.(S) No-2361/2023 में दिनांक 26.06.2024 को पारित न्यायादेश तथा Cont Case (C) No-926/2024 हरे राम सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा Cont Case (C) No-1137/2024 राम प्रकाश राम बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश तथा झारखण्ड लोक सेवा आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 2185 दिनांक 13.04.2026 द्वारा श्री हरे राम सिंह अनुक्रमांक-20057228, कोटि-BC-II) तथा श्री राम प्रकाश राम (अनुक्रमांक-20053306, कोटि-EBC-I) को प्रथम सीमित उप समाहर्त्ता प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं. 05/2005) के माध्यम से उप समाहर्त्ता के पद पर नियुक्त किया गया। साथ ही, अभ्यर्थी को प्रशिक्षण हेतु श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची में अधिसूचना निर्गमन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर योगदान देने का निदेश दिया गया था ।

9. श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची द्वारा योगदान स्वीकृति नहीं किये जाने के आलोक में श्री हरे राम सिंह द्वारा दिनांक 21.04.2026 तथा श्री राम प्रकाश राम द्वारा दिनांक 22.04.2026 को विभाग में योगदान किया गया है ।

10. अतः उपरोक्त वादों में पारित न्यायादेश एवं झारखण्ड लोक सेवा आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रथम सीमित उप-समाहर्त्ता प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं. 05/2005) के माध्यम से झारखण्ड प्रशासनिक सेवा अन्तर्गत उप समाहर्त्ता के पद पर नियुक्त श्री हरे राम सिंह (अनुक्रमांक-20057228, कोटि-BC-II) के व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु लातेहार जिला तथा श्री राम प्रकाश राम (अनुक्रमांक-20053306, कोटि-EBC-I) के व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु जामताड़ा जिला में पदस्थापित किया जाता है ।

11. श्री हरे राम सिंह (अनुक्रमांक-20057228, कोटि-BC-II) तथा श्री राम प्रकाश राम (अनुक्रमांक-20053306, कोटि-EBC-I) की नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :-

(i) अभ्यर्थी की परीक्ष्यमान अवधि, नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों की होगी। संतोषप्रद सेवा नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि को बढ़ाया जा सकता है। नवनियुक्त परीक्ष्यमान उप समाहर्त्ताओं का प्रशिक्षण विभागीय पत्रांक 2/स्था०नि०-01/08 का० 4191 दिनांक 08.07.2008 द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण अवधि एवं कार्यक्रम के अनुरूप सम्पन्न कराया जाएगा ।

(ii) अभ्यर्थी को प्रशिक्षण हेतु आवंटित जिला में अधिसूचना निर्गमन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से योगदान देना है ।

(iii) अभ्यर्थी को प्रशिक्षण हेतु आवंटित जिला में योगदान के समय निम्न कागजात समर्पित करना होगा:-

(क) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-1919 दिनांक 28.01.76 द्वारा दहेज न लेने से संबंधित घोषणा पत्र (प्रति संलग्न) ।

(ख) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या-5437 दिनांक 09.09.2010 एवं 9519 दिनांक 22.09.2014 के आलोक में विहित प्रपत्र में चल-अचल सम्पत्ति का ब्यौरा ।

(ग) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र ।

(घ) पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (Relieving Order) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्यागपत्र की प्रति ।

(iv) समर्पित प्रमाण पत्रों में भविष्य में जाँचोपरान्त किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर उनकी नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जा सकती है ।

(v) नियुक्ति विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 5817 दिनांक 03.05.1963 के आलोक में चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर 01 महीने की सूचना पर सेवा समाप्त की जा सकती है ।

यह नियुक्ति LPA No. 04/2025, LPA No. 207/2025, LPA No. 296/2025, LPA No. 475/2025 एवं LPA No. 716/2025 के अंतिम फलाफल से प्रभावित होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दौराईबुरू,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 222 - 50